Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **श्रीगंगानगर में जोधपुर डिस्कॉम का कनिष्ठ अभियंता 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *25 मार्च, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर श्रीगंगानगर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये गौरव सिंह कनिष्ठ अभियंता, बनवाली लालगढ़ जाटान, जोधपुर डिस्कॉम श्रीगंगानगर को परिवादी से **20 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की श्रीगंगानगर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मकान का विद्युत कनेक्शन करने की एवज में गौरव सिंह कनिष्ठ अभियंता, बनवाली लालगढ़ जाटान, जोधपुर डिस्कॉम श्रीगंगानगर द्वारा 35 **हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी श्रीगंगानगर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पवन मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री भूपेन्द्र कुमार सोनी** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये गौरव सिंह पुत्र श्री रामचंद्र निवासी 913, शालीमार गार्डन, गाजियाबाद उ.प्र. हाल निवासी लालगढ़, श्रीगंगानगर हाल कनिष्ठ अभियंता, बनवाली लालगढ़ जाटान, जोधपुर डिस्कॉम श्रीगंगानगर परिवादी से 20 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी कनिष्ठ अभियंता द्वारा शिकायत करने से पूर्व **10 हजार रुपये** तथा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी **5 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।